राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4999/2024

भावेश कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी सुथारो का बास, नारलाई, तहसील देसूरी, जिला. पाली,राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

स्वीटी पत्नी श्री भावेश कुमार, निवासी फालना, तहसील बाली, जिला पाली, वर्तमान में राठी सेल्स एजेंसी रातानाडा पी.एस. के सामने पेट्रोल पंप के पास, रातानाडा, जोधपुर, राजस्थान में निवासरत।

----प्रतिवादी

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री विश्वास खत्री

प्रतिवादी(गण) के लिए :

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**<u>आदेश</u>**

**<u>01/08/2024</u>**

1. यहां आपराधिक मुख्य प्रकरण संख्या 128/2022 में विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 29.06.2024 के आदेश को आक्षेपित किया गया है, जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी-शिकायतकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया गया। उसे यहां उसके पति याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले 7,000/- रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया गया है।

2. याचिका में उल्लिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि 09.05.2022 को प्रतिवादी ने भरण-पोषण और अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता ने इसमें निहित सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह बेरोजगार है, उसकी कोई आय नहीं है और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए अपने माता-पिता पर निर्भर है।

2.1. याचिकाकर्ता ने बाद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें प्रतिवादी पर झूठे हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई और अनुरोध किया कि धारा 340 आवेदन का समाधान होने तक धारा 125 की कार्यवाही रोक दी जाए। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि प्रतिवादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम है और याचिकाकर्ता बेरोजगार है और आर्थिक रूप से अपने माता-पिता पर निर्भर है।

2.2. पारिवारिक अदालत ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि प्रतिवादी ने गलत पता दिया था। इन सबके बावजूद, पारिवारिक अदालत ने प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 29.06.2024 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 7,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि पत्नी का आवेदन झूठे और गलत तथ्यों पर आधारित है। इसलिए वह भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है। अपने हलफनामे में पत्नी ने उल्लेख किया है कि उसके पास एमसीए की डिग्री है और वह मार्च 2018 से अलग रह रही है, लेकिन उसने झूठा दावा किया है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। साथ ही, प्रतिवादी ने भी अपने हलफनामे में कहा है कि उसके पास एम. फार्मेसी की डिग्री है, लेकिन वह वर्तमान में बेरोजगार है, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए अपने माता-पिता पर निर्भर है। मेरा मानना है कि इन विवादित तथ्यों के लिए सबूतों की आवश्यकता है, जिनकी जांच तब की जाएगी जब दोनों पक्ष अपने-अपने साक्ष्य पेश करेंगे।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने और आक्षेपित आदेश और याचिका का अवलोकन करने के बाद, मेरा मानना है कि यहां उठाए गए तर्क पहले भी उठाए गए थे, जिन्हें विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने उचित तरीके से निपटाया और आक्षेपित आदेश में उचित कारण देते हुए खारिज कर दिया। मैं इससे सहमत हूं। चुनौती दिए गए आदेश में कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं दिखती है, जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके।

6. आक्षेपित आदेश में विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना/अवलोकित किया है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और वर्तमान में अपने पैतृक घर में अलग रह रही है। पत्नी मजबूरी में अलग रह रही है क्योंकि उसने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी और उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग और विवाह में अपर्याप्त दहेज लाए जाने के कारण उसे परेशान किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिवादी बाड़मेर के जयनारायण व्यास फार्मेसी स्कूल में कार्यरत है, जिसकी मासिक आय लगभग ₹1,25,000 है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी के पास नारलाई में लगभग 100 बीघा का खेत है, जिससे उसे कृषि से लगभग ₹18-20 लाख की वार्षिक आय होती है, और वह अपने लाइसेंस को किराए पर देने से प्रति माह ₹20-25 हजार कमाता है।

7. यह स्वीकार किया जाता है कि पत्नी अलग रह रही है, और इसलिए प्रतिवादी का कानूनी और नैतिक दायित्व है कि वह उसे भरण-पोषण प्रदान करे। पति ने निस्संदेह दावा किया है कि वह बेरोजगार है और उसकी कोई आय नहीं है, याचिकाकर्ता के हलफनामे को झूठा बताते हुए उसने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक आवेदन दायर किया है, जिसे मुख्य याचिका के निपटान के दौरान अलग से हल किया जाएगा, जैसा कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने सही कहा है। अंतरिम भरण-पोषण के चरण में न्यायालय हर सूक्ष्म विवरण में जाने के लिए एक सूत्रीय जांच नहीं कर सकता है।

8. इस आधार में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. परिणामस्वरूप, याचिका खारिज की जाती है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

**(अरुण मोंगा),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक

उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।